संख्या : 5-एक(5)/XXXVI(I)/2006-23-एक(5)/05

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
देहरादून ।

न्याय अनुभाग : 1 देहरादून : दिनांक : 21 फरवरी, 2006

विषय: जिला देहरादून व ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक-एक स्थायी लोक अदालत हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला देहरादून व ऊधमसिंहनगर में स्थापित एक-एक स्थायी लोक अदालत हेतु शासनादेश संख्या 24-एक(5)/छत्तीस(I)/2005-23-एक(5)/05, दिनांक 8.11.2005 द्वारा सृजित कुल 10 अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए दिनांक 1.3.2006 से 28.2.2007 तक बढ़ाये जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-10-स्थायी लोक अदालत-00"के सुसंगत प्राथमिक ईकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या: 5-एक(5)/XXXVI(I)/2006-23-एक(5)/05-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. महानिबन्धक, मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3. जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/ऊधमसिंहनगर ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर ।
5. वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।